कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा जिला कांगडा (हि0प्र0) के वर्ष 2011–12 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–I

1 **प्रारम्भिक :–**

(क) कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा जिला कांगडा हिमाचल प्रदेष के 1.4.2011 से 31.3.2012 के लेखों का अंकेक्षण तथा निरीक्षण हिमाचल प्रदेष कृषि एवम् औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक, 2005 की धारा (48.2) के प्रावधानों के दृष्टिगत निवासी लेखा परीक्षा योजना के अन्तर्गत किया गया।

उपरोक्त अवधि के दौरान कृषि उपज मण्डी समिति कांगड़ा में निम्नलिखित अधिकारी सचिव के पदों पर कार्यरत्त रहे।

क्र0सं0	नाम	पद	अवधि
1	श्री जीत सिंह	सचिव	1.4.2011 से 19.4.2011
2	श्री गौतम प्रसाद	सचिव	20.4.2011 से 19.5.2011
4	श्री एन.के.धीमान	सचिव	20.5.2011 से 31.3.2012

(ख) आय व व्यय के मुख्य साधन :–

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा के आय के मुख्य साधन मण्डी षुल्क, दुकानों का किराया, जमा राषियों पर अर्जित ब्याज व व्यापारियों से जुर्माने की वसूलियां है। अकेक्षण अवधि के दौरान संस्थापना (Establishment), निर्माण कार्यों, गाडियों के रख–रखाव, लेखन सामग्री के मुद्रण, मानदेय तथा Legal Charges आदि मुख्य मदों पर व्यय किया गया है।

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	विवरण	राशि	पैरा
1	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	2135556	6
2	दुकानदारों से लम्बित किराये के रूप में वसूली न करने बारे	984842	7
3	मार्केट यार्ड कांगडा में निर्मित छः कमरों के किराये की राषि की वसूली न करना	441360	8
4	चैक पोस्ट पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी षुल्क कम वसूलना	35877	9

5	बिना पंजीकृत फर्म से चैक पोस्ट सुनेहत पर कम्पांउड षुल्क न वसूलने बारे	11727	10
6	विभिन्न फमों से मण्डी षुल्क की राषि कम वसूलने बारे।	57691	11 से 17

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा हि.प्र. के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में लम्बित पैरों का विवरण परिषिष्ट **"ए"** पर दिया गया है ।

भाग–II

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा हि.प्र. के अवधि 1.4.2011 से 31.3.2012 के लेखों का अंकेक्षण श्री मुकेष कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया।

"The audit report has been prepared on the basis of the informations furnished and made available by the Controlling Officer of the institution. The Local Audit Department disclaims any responsibility for any mis-information or non-submission of information on the part of auditee. "

3 अंकेक्षण षुल्क :–

कृषि उपज मण्डी समिति कांगडा के वर्ष 2011–12 के लेखों के अंकेक्षण हेतु निवासी अंकेक्षण योजना का अंकेक्षण षुल्क ₹549618/– बनता है ।

4 वित्तीय स्थिति :–

(क) मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा की वर्ष 2011–12 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है।

आरम्भिक षेष	6,54,19,344.58
आय	3,46,50,413.86
जोड	10,00,69,758.44
व्यय	2,02,16,179.00
अन्तिम षेष	7,98,53,579.44

(ख) रोकड वही के अनुसार उक्त अन्तिम षेष का विवरण निम्न है :–

क्रमांक	विवरण	राषि
1	के.सी.सी.कांगडा खाता न0 2001096	15,874.90
2	के.सी.सी.पालमपुर खाता न0 388	50,908.00
3	एच.जी.बी.देहरा खाता न0 87860101830451	3,61,737.00
4	यू.बी.बाई.कांगडा खाता न0 391902010005999	9,92,865.87
5	एच.जी.बी.बरण्डा खाता न0 0134055	7,32,106.00
6	वे.सी.सी.डमटाल 092DP037003091	18,63,765.67
7	सेन्ट्रल बैंक इण्डिया कांगडा 1787001206	10,16,291.00
8	यूको बैंक कांगडा 10230110013588	30,754.00
9	पंजाब नैषन बैंक पालमपुर 2934000103061146	41,17,040.00
	जोड	(i)91,81,342.44
	सावधिक जमा के अन्तर्गत निवेषित राषि	(ii)7,06,72,237.00
	कुल जोड (i) + (ii)	7,98,53,579.44

नोटः– दिनांक 31.3.2012 को अन्तषेष का विवरण परिषिष्ट **"B"** पर भी दिया गया है ।

(ग) बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम षेष का विवरण निम्न है :–

क्रमांक	विवरण	राषि
1	के.सी.सी.कांगडा खाता न0 2001096	15,874.90
2	के.सी.सी.पालमपुर खाता न0 388	50,908.00
3	एच.जी.बी.देहरा खाता न0 87860101830451	3,61,737.00
4	यू.बी.बाई.कांगडा खाता न0 391902010005999	9,43,750.87
5	एच.जी.बी.बरण्डा खाता न0 0134055	7,32,106.00
6	वे.सी.सी.डमटाल 092DP037003091	17,11,684.67
7	सेन्ट्ल बैंक इण्डिया कांगडा 1787001206	10,5,457.00
8	यूको बैंक कांगडा 10230110013588	30,754.00
9	पंजाब नैषन बैंक पालमपुर 2934000103061146	41,15,477.00
	जोड	90,13,749.44

(घ) बैंक समाधान विवरणिकाः–

अन्तरः (ख–ग) =91,81,342.44-90,13,749.44 1,67,593.00

अन्तर के कारण

(i)	चैक जो बैंक में जमा करवाए गए लेकिन सम्बन्धित बैंक खातों में 31.3.12 तक क्रेडिट नही हुए। (परिषिष्ट B (i) सलंग्न)	(+) 2,02,759.00
(ii)	चैक भुगतान हेतू बैंक को जारी किये गये परन्तु डेबिट नही हुए (परिषिष्ट B (ii) सलंग्न)	(-) 35,166.00
	षुद्ध अन्तर	**1,67,593.00**

5 निवेष :–

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा उपलब्ध करवाये गये विवरण के अनुसार 31.3.2012 को सावधि जमा योजना में ₹7,06,72,237/- निवेषित हैं जिसका विवरण परिषिष्ट **"C"** पर दिया गया है।

6. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹2135556/–के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

वर्तमान अंकेक्षण अवधि (2011-12) के दौरान कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतू विभिन्न विभागों के पास Deposit Work के रूप में ₹2135556/- जमा करवाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0स0	कार्य का नाम	ड्राफट संख्या व दिनांक	राषि
1	C/o R.M.Sub Yard jassur Sh:- providing and laying C.C. Povement in open yard.		1482753
2	Providing electrical installation on existing covered auction platform Himkasth sales depot. Barni	D.D. No.830924 dt.30.08.2011	27450
3	Providing electrical installation on existing toilet block at Himkasth Sale Depot. Barni		19298
4	P/L CC Flooring to Plateform	D.D.No.000045 Dt. 15.11.11	305891

	and connecting road to Wool Fed. Shed at Banuri Distt.Kangra		
5	C/o R.M.Sub Yard Jassur SH:- P/L RCC Slab over Nalah	D.D.No.726450 Dt. 21.1.2012	300164
	Total:-		**21,35,556**

उपरोक्त जमा करवाई गई राषियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। अतः उक्त राषियों के उपयोग/व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त पूर्ण अवधि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित विभागों से प्राप्त किया जाये तथा सम्पूर्ण रिकार्ड को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

7. दुकानदारों के लम्बित किराये के रूप में ₹984842 की वसूली न करने बारे

किराये की मांग एवम् संग्रह (Demand and Collection Register) रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दुकानदारों से किराये के रूप में 31.3.2011 को ₹984842/– वसूली हेतू लम्बित है जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा किराए की उगाही हेतू गम्भीर नही है क्योंकि वसूली योग्य यह राषि प्रति वर्ष बढती जा रही है । अतः निम्न लम्बित राषियों की वसूली को दण्ड ब्याज सहित करने हेतू तुरन्त यथोचित पग उठाये जाएं ताकि समिति की आय की उगाही में कोताही न हो तथा वसूली न होने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से भी बचा जा सके। अनियमितता का यह प्रकरण प्रबन्ध निदेषक, हि0प्र.0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, षिमला–2 के विषेष ध्यानार्थ भी आवष्यक एवं उचित कार्यवाही हेतू लाया जाता है। दुकानदारों से वसूली योग्य राषि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 स0	व्यापारी का नाम	मासिक किराया	अवधि	राशि
1.	मै0लक्ष्मी षिवा फ्रूट कम्पनी दुकान न0 1 जयसिंहपुर	1193	7/05 से 6/08 36 मास	42948
	.यथोपरि..	1312	7/08 से 6/11 36 मास	47232
	.यथोपरि..	1443	7/11 से 11/11 5 मास	7215
2	मै0 षर्मा फ्रूट कम्पनी दुकान न0 2 जयसिंहपुर	1193	10/04 से 9/07 36 मास	42948
	..यथोपरि..	1312	10/07 से 9/10 36 मास	47232

	..यथोपरि..	1443	10/10 से 11/11 14 मास	20202
3	मै0 तमन्ना फ्रूट कम्पनी दुकान न0 3 जयसिंहपुर	1193	9/04 से 8/07 36 मास	42948
	..यथोपरि..	1312	9/07 से 8/10 36 मास	47232
	..यथोपरि..	1443	9/10 से 11/11 15 मास	21645
4	मै0 सोनू फ्रूट कम्पनी दुकान न0 4 जयसिंहपुर	1193	6/05 से 5/08 36 मास	42948
	..यथोपरि..	1312	6/08 से 5/11 36 मास	47232
	..यथोपरि..	1443	6/11 से 11/11 6 मास	8658
5	मै0 ठाकुर फ्रूट कम्पनी दुकान न0 5 जयसिंहपुर	1193	6/05 से 5/08 36 मास	42948
	..यथोपरि..	1312	6/08 से 5/11 36 मास	47232
	..यथोपरि..	1443	6/11 से 11/11 6 मास	8658
6	मै0 जानू फ्रूट कम्पनी दुकान न. 6 जयसिंहपुर	1193	8/05 से 7/08 36 मास	42948
	..यथोपरि..	1312	8/08 से 7/11 36 मास	47232
	..यथोपरि..	1443	8/11 से 11/11 4 मास	5772
7	श्री अरविन्द जग्गी कैंटीन जयसिंहपुर	500	9/04 से 8/07 36 मास	18000
	..यथोपरि..	550	9/07 से 8/10 36 मास	19800
	..यथोपरि..	605	9/10 से 11/11 15 मास	9075
8	मै0 बादषाह फ्रूट कम्पनी बूथ न0 2 जयसिंहपुर	700	9/04 से 8/07 36 मास	25200
	..यथोपरि..	770	9/07 से 8/10 36 मास	27720
	..यथोपरि..	847	9/10 से 11/11 15 मास	12705
9	मै0 हरीष फ्रूट कम्पनी बूथ न0 3 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	..यथोपरि..	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720

	..यथोपरि..	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
10	मै0 गणेष फ्रूट कम्पनी बूथ न0 4 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	..यथोपरि..	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	..यथोपरि..	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
11	मै0 षिवा फ्रूट कम्पनी बूथ न0 5 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	..यथोपरि..	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	..यथोपरि..	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
12	मै0 हरीकृष्ण फ्रूट कम्पनी बूथ न0 6 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	..यथोपरि..	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	..यथोपरि..	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
	कुल जोड			**984842**

8. <u>मार्केट यार्ड कांगडा में निर्मित छः कमरों के किराये की ₹441360/– की वसूली न करनाः–</u>

अभिलेख की जांच करने के उपरान्त पाया गया कि मार्केट यार्ड में दुकानों के उपर छः कमरों का निर्माण किया गया है जिसका किराया कृषि उपज मण्डी समिति की दिनांक 25.4.07 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार ₹1200 मासिक की दर से माह 5/07 से निम्नविवरणानुसार वसूलना अपेक्षित है ।

क्रमांक	व्यापारी का नाम	मासिक किराया	अवधि	राषि
1	मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200
	...यथोपरि...	1320	5/10 से 3/12 23 मास	30360
2	मैसर्ज कुजजीत फ्रूट एजैंसी	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200
	...यथोपरि...	1320	5/10 से 3/12 23 मास	30360

3	मैसर्ज हिमाचल फ्रूट एजैंसी	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200
	...यथोपरि...	1320	5/10 से 3/12 23 मास	30360
4	मैसर्ज मनोहर सिंह इन्द्रजीत सिंह	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200
	...यथोपरि...	1320	5/10 से 3/12 23 मास	30360
5	मैसर्ज कृष्णा फ्रूट कम्पनी	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200
	...यथोपरि...	1320	5/10 से 3/12 23 मास	30360
6	मैसर्ज कांगडा फ्रूट एजैंसी	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200
	...यथोपरि...	1320	5/10 से 3/12 23 मास	30360
			जोड	441360

अतः विपणन समिति कांगड़ा द्वारा उक्त फर्मों से बकाया किराये की राषि दण्ड ब्याज सहित वसूलने हेतु शीघ्र ठोस पग उठाए जाने सुनिष्चित किये जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. चैक पोस्ट पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की ₹35877/– कम वसूलने बारे :–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि विभिन्न यार्डों के निम्नलिखित आढतियों से उनके द्वारा चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर कम मण्डी शुल्क वसूला गया प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में निवासी अंकेक्षण योजना द्वारा अपनी विभिन्न अधियाचनाओं द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को समय समय पर अवगत करवाया जा चुका है। अतः इस सन्दर्भ में आन्तरिक जांच करके इन देय वूसलियों को सम्बन्धित व्यापारियों से शीघ्र वसूलना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

अवधि	फर्म का नाम	वसूली योग्य राषि	वसूली गई राषि	कम वसूली
4/11 से 9/11	मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी ,बैजनाथ	₹22086	₹14598	₹7488
4/11 से 10/11	मैसर्ज न्यू षिवाजी फ्रूट कम्पनी ,नगरोटा	₹46683	₹32294	₹14389
11/11	मैसर्ज पंजाब फ्रूट कम्पनी ,बैजनाथ	₹2560	₹1508	₹1052
11/11	मैसर्ज रीत फ्रूट कम्पनी ,बैजनाथ	₹6631	₹1504	₹5127
12/11 से 1/12	मैसर्ज पंकज फ्रूट कम्पनी ,कांगडा	₹32428	₹27083	₹5345
1/12	मैसर्ज गणेष फ्रूट कम्पनी ,कांगडा	₹2259	₹989	₹1270
2/12	मैसर्ज ए.एस.कुमार फ्रूट कम्पनी ,नगरोटा बंगवा	₹5738	₹4532	₹1206
			कुल जोड	₹35877

10. बिना पंजीकृत फर्म से चैक पोस्ट सुनेहत पर कम्पांउड शुल्क की ₹11727/– न वसूलने बारेः–

अंकेक्षण द्वारा लाईसैंस रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज सांई फ्रूट कम्पनी कांगडा पंजीकृत फर्म नही है परन्तु आवक जावक विवरण की जांच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.2011 से 11.5.2011 तक उक्त फर्म द्वारा ₹234550/– का फल व सब्जी का कारोबार दर्षाया गया है परन्तु उक्त फर्म से चैक पोस्ट सुनेहत पर कम्पांउड शुल्क की 5 प्रतिषत की दर से ₹11727/– की वसूली नहीं गई। इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी./11.85 दिनांक 13.2.2013 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही अवगत करवा दिया गया है। अतः उपरोक्त फर्म से कम्पांउड षुल्क न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इस प्रकरण में आन्तरिक स्तर पर जांच करके कम्पांउड शुल्क वसूलने उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए ।

11 **मैसर्ज गणेष फ्रूट कम्पनी कांगडा से मण्डी शुल्क के रूप में ₹2593/– न वसूलने बारेः–**

उक्त फर्म द्वारा अवधि 11/2011 व 12/2011 में कुल ₹551482/- का फल व सब्जी आयात किया गया है जिस पर एक प्रतिषत की दर से ₹5515 का मण्डी शुल्क वसूलना अपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्ष के दौरान केवल मण्डी शुल्क के रूप में ₹2922/- जमा करवाई गई। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से मण्डी षुल्क dh बकाया ₹2593/- वसूलनी अपेक्षित थी। इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी/12.06 दिनांक 4.12.2012 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया तथा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा उक्त मामले पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए देय मण्डी शुल्क की राषि रसीद संख्या 46569 दिनांक 23.2.2012 द्वारा ₹1935 व रसीद संख्या 46200 दिनांक 7.4.2012 द्वारा ₹658 सम्बन्धित फर्म से वसूल करके मण्डी निधि में जमा करवा दी गई जिसकी जांच व पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

12 **मैसर्ज लेख राज रविन्द्र सिंह, सब्जी मण्डी कांगडा से ₹4081 का मण्डी शुल्क न वसूलने बारेः–**

उक्त फर्म द्वारा अवधि 11/2011 से 2/2012 में कुल ₹770877 का फल व सब्जी आयात किया गया है जिस पर एक प्रतिषत की दर से ₹7709 का मण्डी शुल्क वसूलना अपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्ष के दौरान केवल ₹3628 मण्डी शुल्क के रूप में जमा करवाये गये। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ₹4081 बकाया मण्डी षुल्क वसूलना अपेक्षित था। इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी./13–09 दिनांक 1.3.2012 व अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी-/13-17 दिनांक 30.3.2012 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया तथा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा उक्त मामले पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए देय मण्डी शुल्क की राषि रसीद संख्या 47908 दिनांक 26.3.2012 द्वारा ₹3023 व रसीद संख्या 49275 दिनांक 12.4.2012 द्वारा ₹1058 सम्बन्धित फर्म से वसूल करके मण्डी निधि में जमा करवा दिये गये हैं जिसकी जांच व पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

13 मैसर्ज न्यू षिवाजी फ्रूट कम्पनी, सब्जी मण्डी नगरोटा बंगवा से ₹11219/–का मण्डी शुल्क न वसूलने बारेः–

उक्त फर्म द्वारा अवधि 11/2011 से 2/2012 में कुल ₹3025909/– का फल व सब्जी आयात किया गया है जिस पर एक प्रतिषत की दर से ₹30259/–का मण्डी शुल्क वसूलना अपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्ष के दौरान केवल ₹19040/– रू मण्डी शुल्क के रूप में जमा करवाये गये। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ₹11219/– बकाया मण्डी षुल्क वसूलना अपेक्षित था। इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम. सी/12–12 दिनांक 12.3.2012 के द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया तथा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा उक्त मामले पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए देय मण्डी षुल्क की ₹11219/–रसीद संख्या 47123 दिनांक 23.4.2012 द्वारा सम्बन्धित फर्म से वसूल करके मण्डी निधि में जमा करवा दी गई जिसकी जांच व पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

14 <u>मैसर्ज विजय कुमार, सब्जी मण्डी पालमपुर से ₹902/– का मण्डी शुल्क न वसूलने बारेः–</u>

उक्त फर्म द्वारा अवधि 12/2011 में कुल ₹517100 का फल व सब्जी आयात किया गया है जिस पर एक प्रतिषत की की दर से ₹5171 मण्डी शुल्क वसूलना अपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्ष के दौरान केवल ₹4269 मण्डी शुल्क के रूप में जमा करवाई गई हैं । इस प्रकार उपरोक्त फर्म से ₹902 बकाया मण्डी शुल्क वसूलना अपेक्षित था। इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी-/12-13 दिनांक 12.3.2012 के द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया तथा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा उक्त मामले पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए देय मण्डी शुल्क की ₹902/– रसीद संख्या 48508 दिनांक 23.3.2012 द्वारा सम्बन्धित फर्म से वसूल करके मण्डी निधि में जमा करवा दी गई जिसकी जांच व पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

15 <u>मैसर्ज रीत फ्रूट कम्पनी, सब्जी मण्डी बैजनाथ से ₹23110 का मण्डी शुल्क न वसूलने बारेः–</u>

उक्त फर्म द्वारा अवधि 4/2011 से 9/2011 तक कुल ₹6700 का फल व सब्जी के नगों का आयात किया गया दर्षाया गया था जोकि सन्तोषजनक प्रतीत नही होता था तथा जिस पर जमा करवाई गई मण्डी शुल्क की राषि भी उचित प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त उक्त फर्म द्वारा माह 12/2011 से 2/2012 में कुल ₹1468252 का फल व सब्जी आयात किया गया है जिस पर एक प्रतिषत की दर से ₹14683 मण्डी शुल्क वसूलना अपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्ष के दौरान मण्डी षुल्क के रूप में केवल ₹7568 जमा करवाई गई। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से बकाया मण्डी शुल्क की ₹7115 वसूलनी अपेक्षित थी। इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी./12.14 दिनांक 24.3.2012 व आर.ए.एस.के.एम.सी./12.86 दिनांक 14.2..2013 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया तथा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा उक्त मामले पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए देय मण्डी शुल्क को ₹7115 रसीद संख्या 48542 दिनांक 27.3.2012 द्वारा व अवधि 4/2011 से 9/2011 तक फर्म की असैसमैंट करने उपरान्त देय बकाया मण्डी शुल्क की ₹15995/–को रसीद संख्या 58632 दिनांक 30.3.2013 द्वारा अर्थात कुल ₹23110 सम्बन्धित फर्म से वसूल करके मण्डी निधि में जमा करवा दी गई हैं जिसकी जांच व पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

16. <u>मैसर्ज ठाकुर फ्रूट कम्पनी, सब्जी मण्डी जयसिंहपुर से ₹6260/– का मण्डी षुल्क न वसूलने बारेः–</u>

उक्त फर्म द्वारा अवधि 2/2012 में कुल ₹1268000/– का फल व सब्जी आयात किया गया है जिस पर एक प्रतिषत की दर से ₹12680/– मण्डी षुल्क वसूलना आपेक्षित था जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा वर्ष के दौरान मण्डी षुल्क के रूप में केवल ₹6420/– जमा करवाई गई। इस प्रकार उपरोक्त फर्म से बकाया मण्डी षुल्क की ₹6260/– वसूलनी अपेक्षित थी। इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी.–/12–18 दिनांक 25.5.2012 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया तथा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा उक्त मामले पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए देय मण्डी षुल्क की ₹6260/–रसीद संख्या 50217 दिनांक 29.5.2012 द्वारा सम्बन्धित फर्म से वसूल करके मण्डी

निधि में जमा करवा दी गई हैं जिसकी जांच व पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

17 मै. गुरूनानक फ्रूट कम्पनी कांगडा से सेब पर मण्डी षुल्क की ₹3526/– न वसूलने बारेः–

अंकेक्षण द्वारा चैक पोस्ट की आयात निर्यात विवरणी की जांच पर पाया गया कि मैसर्ज गुरूनानक फ्रूट कम्पनी, कांगडा द्वारा माह 11/2011 में कुल 1451 सेब की पेटियां आयात की गई हैं परन्तु उक्त फर्म द्वारा सेब पर कोई भी मण्डी षुल्क जमा नही करवाया गया है और न ही निलामी रजिस्टर में उक्त आयात किये सेब की प्रविष्टि सम्बन्धित निलामी कर्ता द्वारा की गई। इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी./12–03 दिनांक 2.1.2012 को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को पहले ही अवगत करवाया जा चुका है तथा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा उक्त मामले पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए सम्बन्धित फर्म की असैसमैंट करने उपरान्त उक्त 1451 पेटियों की देय मण्डी षुल्क की ₹3520/– रसीद संख्या 46557 दिनांक 17.2.2012 द्वारा सम्बन्धित फर्म से वसूल करके मण्डी निधि में जमा करवा दी गई जिसकी जांच व पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

18 कार्योत्तर स्वीकृति बारेः–

अंकेक्षण द्वारा वाऊचर संख्या 73 दिनांक 19.7.2011 की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज रामगडिया बाडी रिपेयर वर्कष पठानकोट को उनके बिल संख्या 742 दिनांक 27.6.2011 के एवज में ₹57025/–का भुगतान गाड़ी संख्या एच0पी0–40–9594 की मुरम्मत इत्यादि के लिए किया गया। अंकेक्षण द्वारा उक्त बिल को इस आषय के साथ पारित किया गया कि उक्त बिल की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अंकेक्षण को दर्षाई जानी सुनिष्चित की जाए परन्तु उक्त कार्योत्तर स्वीकृति अंकेक्षण षाखा को प्रस्तुत नहीं की गई है। इस सन्दर्भ में आडिट अधियाचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0/11–14 दिनांक 22.7.2011 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगड़ा को पहले ही अवगत करवा दिया गया है। अतः कृषि उपज मण्डी, कांगड़ा से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके आडिट को प्रस्तुत करनी सुनिष्चित करें।

19 किसान विश्रामगृह, ज्वालाजी, बैजनाथ व धर्मषाला के कार्यन्वयन बारेः–

अंकेक्षण द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति धर्मषाला में किसान विश्रामगृह का निर्माण किया गया है तथा विश्रामगृह के लिए पूर्ण सामान का भी क्रय किया गया है परन्तु किसान विश्रामगृह का संचालन नही किया जा रहा है जिससे लाखों रूपये की लागत से निर्मित विश्रामगृह तथा खरीदे गये सामान का सदुपयोग नही हो रहा है। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति द्वारा ज्वालामुखी तथा बैजनाथ में भी विश्रामग्रह का निर्माण किया गया है जिसका जिसका संचालन मण्डी समिति द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त विश्रामगृहों के कार्यन्वयन हेतू उचित पग उठाये जांए ताकि कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को किराये के रूप में आय प्राप्त हो सके।

20 अंकेक्षण में रिकार्ड न प्रस्तुत किया जानाः–

(क) मण्डी समिति द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण से सम्बन्धित रिकार्ड आडिट में प्रस्तुत करने बारेः–

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को आडिट अधियाचना संख्या आर.ए.एस.के.एम.सी/–12–43 दिनांक 17.3.2012 द्वारा अनुरोध किया गया था कि वर्ष, 2010–11 के दौरान कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा गाडी न. HP-40-9594 द्वारा किये गये औचक निरीक्षण से सम्बन्धित रिकार्ड आडिट में प्रस्तुत किया जाए परन्तु सम्बन्धित रिकार्ड तक अंकेक्षण हेतू प्रस्तुत नही किए गए है। अतः सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उक्त रिकार्ड को आडिट में षीघ्र प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए।

(ख) नीलामी रजिस्टर न प्रस्तुत करने बारेः–

मण्डी समिति कांगडा द्वारा माह 7/11 का नीलामी रजिस्टर आडिट हेतू प्रस्तुत नही किया गया। अतः सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा से पुनः अनुरोध है कि उक्त रिकार्ड को आडिट में प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए।

21 अंकेक्षण के दौरान वसूल की गई राषि व कटौतियांः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान अंकेक्षण हेतू गलत भुगतान प्रस्तुत किये जाने के कारण **₹92572/-** की कटौतियॉ की गई। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि समिति द्वारा विभिन्न रिकार्डों की जांच सही ढ़ंग से नही की जा रही थी। अतः कृषि उपज मण्डी समिति

कांगडा को परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में अन्तरिक जांच को और सदृढ़ किया जाना सुनिष्चित किया जाए ।

22 <u>लघु आपति विवरण :–</u>यह अलग से जारी नहीं की गई ।

23 <u>निष्कर्ष :–</u> लेखों में सुधार एवं कडे निरीक्षण की आवष्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2) सी (15)(14)76/84 खण्ड–8–5656–5659 दिनांक 31.08.2013

षिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृतः 1 सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 प्रबन्ध निदेषक, विपणन बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, षिमला–171002

3 प्रधान सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेष सरकार, षिमला–171002

4 अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना कृषि उपज मण्डी समिति कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेष

हस्ता/–
उप निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा जिला कांगडा

परिषिष्ट "A"श

(पैरा 1 (घ) के सन्दर्भ में)

1 <u>गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–</u>

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा के वर्ष, 1983–1984 से 2010–11 तक की अवधि के 20 अंकेक्षण प्रतिवेदनों के कुल 137 पैरे लम्बित थे। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लम्बित पैरों के निपटारे/सैटलमैन्ट हेतू मण्डी समिति, कांगडा एवम् अंकेक्षण द्वारा काफी प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप कुल लम्बित पैरों में से 74 पैरों को मौके पर सैटल किया गया। षेष लम्बित पैरों में उठाई गई आपतियों के अनुसार मण्डी षुल्क के रूप में लाखों रूपयों की वसूलियां न करना, ठेकेदारों को किये गये अनियमित भुगतानों, दुकानों के किराये व अन्य अनेक मामलों में उजागर की गई वसूलियों की वसूली न करना षामिल है। वर्ष 1983–84 से 2010–11 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अंकेक्षण द्वारा उजागर करने के वावजूद ऐसी गम्भीर अनियमिताओं पर विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से कार्रवाई न करना बहुत बडी लापरवाही है जिसके फलस्वरूप मण्डी समिति को भारी वितीय हानि उठानी पड सकती है क्योंकि लम्बी समय अवधि बीत जाने के कारण इन वसूलियों को प्रभावित करना न केवल मुष्किल होगा अपितु यह कार्य असम्भव हो जाएगा। अतः वितिय अनियमिताओं एवम् वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के निपटारे हेतू प्रभावी ढंग से कार्यवाही करना अति आवष्यक है जिसके लिए तुरन्त कार्रवाई करनी सुनिष्चित की जाये तथा अनुपालना की सूचना समय–2 पर इस कार्यालय को भेजी जाये। षेष बचे आडिट पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/88

1	पैरा-9(XI)	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिकार्ड जैसे, माप पुस्तिका, प्रांकलन Completion report आदि को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा-9(XII)	निर्माण कार्यों पर स्टील, सीमेन्ट, ईटों व रेत बजरी की खपत बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90

1	पैरा-5(36)	गाडी संख्या एच.पी.एम. 5152 द्वारा 11.2.1989 से 11.4.1989 तक की गई निजि यात्रा (159 कि0मी0) की के प्रभार की वसूली न करना ।	अनिर्णीत
2	पैरा-5(37)	निर्माण कार्यों के लिए किये गये भुगतानों से सम्बन्धित रिकार्ड को जांच हेतू प्रस्तुत न करने बारे ।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा-6(16)	निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को किये गये ₹83,803.00 के भुगतान के एवज में सम्बन्धित रिकार्ड को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा–14	ठेकेदारों को उनके बिलों में गलत गणना करके किये गये अधिक भुगतान की राषि ₹1,22,397.00 की वसूली न करना ।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/96

1	पैरा-5(V)	31 मामलों में मण्डी षुल्क की वसूली न करना ।	अनिर्णीत
2	पैरा-6(8)(ग)	न्यायालय के आदेषों के बावजूद श्री विनोद कुमार से मण्डी षुल्क के रूप में ₹30,000/– की वसूली न करना ।	अनिर्णीत
3	पैरा-6(XXV) (क) व (ख)	मण्डी यार्ड के निर्माण के लिये श्री केवल कृष्ण ठेकेदार को किये गये ₹.20,000/– के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितताओं बारे ।	अनिर्णीत
4	पैरा-6(XXVI) (क) व (ख)	सब्जी मण्डी के लिये बनाये गये लिंक रोड के कार्य के लिये किये गये भुगतान राषि ₹35424/– में अनियमितताओं बारे ।	अनिर्णीत
5	पैरा-6 (XXVIII)	दुकानों की मुरम्मत के कार्य को श्री वी.पी. सिंह ठाकुर को कार्य आवंटित /आर्वाड करने के मामले में अनियमितताओं बारे ।	अनिर्णीत
6	पैरा-8(17)	विभिन्न निर्माण कार्यों के Completion Certificates को जांच हेतू प्रस्तुत न करना ।	निर्णीत कार्रवाई

			देख ली गई है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99

1	पैरा–10(घ)	2115 ईटों के मूल्य की वसूली न करना	अनिर्णीत
2	पैरा–11	₹2,39,050.00 के निर्माण कार्यो से सम्बन्धित रिकार्ड एवम् इन कार्यों की प्रषासनिक एवमं तकनीकी स्वीकृति की अंकेक्षण में जांच न करवाना।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा–12(क)(1 से 5)	एक ही आदमी की उसी अवधि के दौरान एक से ज्यादा मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाकर अनियमित भुगतान करने बारे ।	अनिर्णीत
2	पैरा–14(क)	माप पुस्तिका (MB) संख्या 1937 के पृष्ठों को बीच में खाली रखने के सम्बन्ध में (पृष्ठ संख्या 46.50 व 77.78)	अनिर्णीत
3	पैरा–15(1व 2)	₹1,47,057/– के निर्माण कार्य में उठाई गई गम्भीर आपतियों बारे। बांछित रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा–14	विज्ञापन के लिये किये गये ₹7500/– के भुगतान की स्वीकृति बारे ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है।
2	पैरा–15	श्री पवन काजल ठेकेदार से बिकी कर एवम् आयकर के रूप में ₹9914.00 की वसूली न करने बारे ।	आंषिक निर्णीत ₹6998 की वसूली देख ली गई है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा-9(क)	श्री पवन काजल ठेकेदार से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर एवम् विक्रय कर के रूप में ₹15257.00 की वसूली न करना।	अनिर्णीत

2	पैरा–10	₹2,20,190.00 के निर्माण कार्यों की AE & ES (प्रषासनिक एवम् तकनीकी स्वीकृति बारे)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा–10	अनुबन्ध पर रखे गये कर्मचारियों की स्वीकृति बारे ।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा–4	मण्डी षुल्क के रूप में ₹3,86,828/– की कम वसूली करना।	अनिर्णीत
2	पैरा–5	मण्डलीय प्रबन्धक, वन निगम धर्मषाला से मण्डी षुल्क के रूप में ₹6344.00 की वसूली न करने बारे ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है।
3	पैरा–10	₹6804/– के भुगतान की स्वीकृति एवम् एम.बी. व एम. ए.एस. में प्रविष्टियों बारे।	अनिर्णीत
4	पैरा–11	₹13,975/– के भुगतान की स्वीकृति एवम् सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे।	अनिर्णीत
5	पैरा–14	₹5,22,471/–. रूपये के निर्माण कार्यों के Completion Certificate व कार्य सम्पूर्ण होने के पष्चात् निर्मित भवन को Handover करने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा–.8	मण्डी षुल्क के रूप में ₹14601.00 की कम वसूली करना।	अनिर्णीत
2	पैरा–.9	मण्डी षुल्क की वसूली न करना।	अनिर्णीत
3	पैरा.–13	कुल 98 व्यापारियों से मण्डी षुल्क की वसूली न करना ।	अनिर्णीत
4	पैरा.–14	मण्डी समिति, कांगडा द्वारा लाईसैंसों के नवीकरण में ढील बरतने बारे ।	अनिर्णीत
5	पैरा.–15(ग)	मण्डी षुल्क की वसूली बारे ।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा–5	मैसर्ज सागरिका डेयरी पालमपुर से दूघ के आयात पर	अनिर्णीत

		मण्डी षुल्क के रूप में ₹9926.00 की कम वसूली करने बारे ।	
2	पैरा–7	मै0 जितेन्द्र कुमार अजय कुमार षाहपुर से ₹6650.00 की वसूली की ली है लेकिन मै0 पवन काजल ठेकेदार से ₹37,258/– की वूसली षेष है जिसे तुरन्त करने के लिए आवष्यक पग उठाये जायें।	आंशिक निर्णीत
3	पैरा–11	कांगडा मण्डी यार्ड में लाईसैंस जारी करने में नियमों की अवहेलना करके एक से अधिक लाईसैंस जारी करना ।	अनिर्णीत
4	पैरा–12	पुराने लाईसैंसों के नवीकरण में नियमों की अवहेलना करना ।	अनिर्णीत
5	पैरा–13	कुल 47 व्यापारियों से उन्हें लाईसैंस जारी करने के फलस्वरूप वर्ष, 2006–07 के दौरान मण्डी षुल्क के रूप में कोई भी वसूली न करना ।	अनिर्णीत
6	पैरा–14(क)	मै0 पंजाब हिमाचल फ्रूट कम्पनी कन्दरोडी के मण्डी षुल्क की वसूली से सम्बन्धित रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	अनिर्णीत
7	पैरा–14(घ)(ड)	लाईसैंस के रिकार्ड को प्रस्तुत न करना ।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा.11 (क)	मण्डी षुल्क के रूप में ₹116344/– न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
2	पैरा–11 (ख)	मण्डी षुल्क के रूप में ₹73578/– न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
3	पैरा–12	मण्डी षुल्क के रूप में ₹45539/– न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
4	पैरा–13	मैसर्ज सरियाल टिम्बर से मण्डीषुल्क के रूप में ₹42728/– न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
5	पैरा–18	मैसर्ज चैना राम सन्त राम से ₹23993/–न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
6	पैरा–20	व्यापारियों का नियमानुसार लाईसैंस नवीकरण	अनिर्णीत

		न करने बारे ।	
7	पैरा–21 (क से च)	रिकार्ड का आडिट में न प्रस्तुत करने बारे ।	आंशिक निर्णीत पैरा 21 के सम्बन्धित एम फार्म देख लिये गये हैं ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा–10	मैसर्ज सरियाल टिम्बर, पंचरूखी से ₹2127/–मण्डी षुल्क वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
2	पैरा–12	मण्डी षुल्क के रूप में ₹4635/– की वसूली न करना।	आशिंक निर्णीत
3	पैरा–13	स्थाणा पौंग डैम मत्सय को. सोसाईटी से मण्डी षुल्क वसूलने बारे।	अनिर्णीत
4	पैरा–14	मैसर्ज लाल चन्द कत्था व्यापारी गांव समनोली देहरा से मण्डी षुल्क वसूलने बारे।	निर्णीत वसूली देख ली गई है ।
5	पैरा–16	मण्डी षुल्क के रूप में ₹68894/– की वसूली न करने के परिणामस्वरूप पांच गुणा वसूली करना।	अनिर्णीत
6	पैरा–17	मैसर्ज बलदेव राज एण्ड कम्पनी, बैजनाथ से बकाया मण्डी षुल्क ₹8392/– वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
7	(i) पैरा–20	कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा रसीद संख्या 57337 दिनांक 7.2.13 के अन्तर्गत ₹1030/–की वसूली कर ली गई।	निर्णीत
	(ii) पैरा–22(क)	आडिट में रिकार्ड न प्रस्तुत किया जाना।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है।
8	पैरा–22 (ख व घ)	आडिट में रिकार्ड न प्रस्तुत किया जाना।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–.5	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे	आंशिक निर्णीत

2	पैरा.–6	दुकानों के लम्बित किराये के बारे में।	निर्णीत वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में षामिल कर लिया गया है।
3	पैरा.–8	मार्केट यार्ड कांगडा में निर्मित छः कमरों के किराये की वसूली बारे।	निर्णीत वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में षामिल कर लिया गया है।
4	पैरा.–10	विभिन्न टिम्बर व्यापारियों से ₹57403/– वसूलने बारे ।	आंशिक निर्णीत
5	पैरा.–15	आलू के व्यापारियों से ₹158247/– कम मण्डी षुल्क वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
6	पैरा.–16	उप सब्जी मण्डी जसूर में मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी व वैष्णो फ्रूट कम्पनी से ₹234739/– कम्पांउड षुल्क न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
7	पैरा.–18	मैसर्ज तुली ऐग स्टोर कांगडा से बकाया मण्डी षुल्क ₹529030/–न वसूलने बारे।	अनिर्णीत
8	पैरा.–20	मैसर्ज षिवा डेयरी ,सनौंरा चौक गगल से बकाया मण्डी षुल्क मु. 16821/– वसूलने बारे ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है ।
9	पैरा–.21	मैसर्ज निखिल ट्रेडर्ज, दूध विक्रेता, पालमपुर से बकाया मण्डी षुल्क ₹55612/– वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
10	पैरा–22	मैसर्ज आदर्ष मिल्क, दूध विक्रेता, कांगडा से बकाया मण्डी षुल्क ₹79832/– वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
11	पैरा.–23	मैसर्ज दीपक षर्मा, दूध विक्रेता, धर्मषाला से बकाया मण्डी षुल्क ₹19676/– वसूलने बारे ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
12	पैरा.–24	मैसर्ज बलदेव राज षर्मा, दूध विक्रेता, धर्मषाला से बकाया मण्डी षुल्क ₹26463/– वसूलने बारे।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
13	पैरा.–25	मैसर्ज वेरका मिल्क एजैंसी, पालमपुर से बकाया मण्डी षुल्क ₹60052/– वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
14	पैरा–.26	मैसर्ज मल्होत्रा इन्टरप्राईजिज, दूध विक्रेता, धर्मषाला से बकाया मण्डी षुल्क ₹17012/–वसूलने बारे ।	अनिर्णीत

1	पैरा–6	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
2	पैरा–7	दुकानों के लम्बित किराये के रूप में ₹918547 की वसूली करने बारे।	निर्णीत वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में षामिल कर लिया गया है।
3	पैरा–8	मार्कंट यार्ड कांगडा में निर्मित छः कमरों के किराये की ₹346320/–की वसूली न करना।	निर्णीत वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में षामिल कर लिया गया है।
4	पैरा–9	दुकान आंवटन व किराया एग्रीमैंट से सम्बन्धित रिकार्ड न उपलब्ध करवाने बारे	अनिर्णीत
5	पैरा–10	मैसर्ज विष्वास फ्रूट कम्पनी के किराये के बारे में ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
6	पैरा–11	मैसर्ज कुलजीत फ्रूट कम्पनी दुकान न.2 से फल पर मण्डी षुल्क न वसूलने बारे ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
7	पैरा–12	मैसर्ज राम श्री राम फ्रूट कम्पनी कांगडा से मण्डी षुल्क न वसूलने बारे।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
8	पैरा–13	मैसर्ज गणेष फ्रूट कम्पनी कांगडा के लाईसैंस के बारे ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
9	पैरा–14	निलामी रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत
10	पैरा–15	बिना पंजीकृत फर्म से चैक पोस्ट सुनेहत पर ₹11675/–कम्पांउड षुल्क न वसूलने बारे।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
11	पैरा–16	पंजीकरण रद्व किये आढतियों से कम्पांउड षुल्क के रूप में ₹31995/–की वसूली न करने बारे ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
12	पैरा–17	मै.तुली ऐग स्टोर कांगडा से कम्पाउंड षुल्क के रूप में ₹32400/– की वसूली न करने बारे ।	अनिर्णीत
13	पैरा–18	मैसर्ज दीपक षर्मा, दूध विक्रेता धर्मषाला से बकाया मण्डी षुल्क के रूप में ₹47959/–की वसूली न करने बारे	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
14	पैरा–19	मैसर्ज बलदेव राज षर्मा, दूध विक्रेता धर्मषाला से बकाया मण्डी षुल्क के रूप में ₹47581/–की वसूली न करने बारे	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है

15	पैरा–20	मैसर्ज वेरका मिल्क एजैंसी, पालमपुर से बकाया मण्डी षुल्क के रूप में ₹59022/– की वसूली न करने बारे	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
17	पैरा–21	मैसर्ज षिवा डेयरी, सनौंरा चौक गगल से बकाया मण्डी षुल्क के रूप में ₹20196/– की वसूली न करने बारे	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
18	पैरा–22	सब्जी मण्डी जसूर में मैसर्ज वैष्णो फ्रूट कम्पनी दुकान न 18 से कम्पांउड मण्डी षुल्क के रूप में ₹110132/–न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत
19	पैरा–23	मैसर्ज धर्मषाला ट्रेडिंग कम्पनी , रामनगर, धर्मषाला से कम्पांउड षुल्क के रूप में ₹16692/–न वसूलने बारे ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
20	पैरा–24	मैसर्ज कल्याण टिम्बर परौर से मण्डी षुल्क के रूप में ₹11414/–न वसूलने बारे ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
21	पैरा–25	मैसर्ज राजीव टिम्बर न्यू बस स्टैंड पालमपुर से मण्डी षुल्क के रूप में ₹6069/–वसूलने बारे ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
22	पैरा–26	मैसर्ज सुनील बुडन टिम्बर पपरोला से मण्डी षुल्क के रूप में ₹9400/–वसूलने बारे ।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
23	पैरा–27	मैसर्ज दीवान एण्ड दीवान नगरोटा बंगवा से कम्पांउड षुल्क के रूप में ₹3794/– वसूलने बारे।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
24	पैरा–28	मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी नगरोटा बंगवा से मण्डी षुल्क के रूप में ₹3684/– वसूलने बारे।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
25	पैरा–29	मण्डी यार्ड कांगडा के व्यापारियों से कम मण्डी षुल्क के रूप में 1819/– कम वसूलने बारे।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
26	पैरा–30	मैसर्ज एस.कुमार इन्टप्राईजिज कांगडा से वे ब्रिज व पार्किंग की ₹4501/– की बकाया वसूली बारे।	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है
27	पैरा–31	किसान विश्रामगृह ज्वालाजी व बैजनाथ को प्रयोग में लाए जाने बारे	अनिर्णीत
28	पैरा–32	अंकेक्षण के दौरान वसूल की गई राषियों व कटौतियों	निर्णीत कार्रवाई देख ली गई है

वर्ष 2011–12 तक कुल अनिर्णीत पैरे=96